

निर्णय

खेत खसरा नंबर 34 तादादी 3.36 हैक्टेयर वाकेरोही बीरमसर की खातेदारी वादी संख्या 1 भागीरथ के नाम से तथा खसरा नंबर 13 तादादी 4.96 हैक्टेयर वाकेरोही बीरमसर की भूमि वादी संख्या 2 ताराचन्द के नाम से खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 5 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ा गया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने के बाद वादीगण के पक्ष में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

